ऊपर बताए गए कारणों से, श्री बुद्ध माई की याचिका को खारिज करते हुए, जहां तक उन्होंने 23 मार्च, 1967 की सरकारी ⊠धिसूचना (⊠नुलग्नक क) को लागू किया है और यह मानते हुए कि प्रतिवादी 7 से 10 के नामांकन पत्र ⊠नुचित रूप से खारिज कर दिए गए थे और इस प्रकार, समग्र रूप से चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था, मैं पंजाब राज्य को निर्देश देता हूं कि वह नगर निगम चुनाव नियम 69 के प्रावधानों का ⊠नुपालन करने के लिए पंजाब राज्य को आदेश जारी करे। मैं आगे निर्देश देता हूं कि नगरपालिका समिति, दिनानागा के लिए वार्ड नंबर 1 से दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में एक नया चुनाव आयोजित किया जाए, प्रतिवादी नंबर 1 निर्देश दे सकता है कि निर्वाचन क्षेत्र में तीन महीने के भीतर एक नया चुनाव कराया जाए। इन परिस्थितियों में, मैं पार्टियों को उनकी लागत वहन करने के लिए छोड़ दूंगा।

बी.आर.टी.

सिविल विविध

न्यायमूर्ति ए. एन. ग्रोवर के समक्ष

जोध सिंह चौधरी – याचिकाकर्ता

बनाम

हरदेव कौर, - उत्तरदाता

1966 का प्रोबेट केस नंबर 2

4 सितंबर, 1967

भविष्य निधि ⊠धिनियम (1925 का XIX) - धारा 5 - रक्षा सेवा ⊠धिकारियों की पेंशन निधि नियम (1931) - नियम 9 (viii) (b) - भविष्य निधि की राशि प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति - यदि वह उसमें स्वामित्व का

धिकार प्राप्त करता है या मृतक के वैध उत्तराधिकारियों के लिए रिसीवर या ट्रस्टी की क्षमता में रखता है।

दालत ने कहा कि यद्यपि रक्षा सेवा धिकारियों के भविष्य निधि नियमों के नियम 9 (viii) (बी) के नुसार विधवा पने मृत पति की भविष्य निधि की राशि प्राप्त करने के लिए धिकृत है, वह नामांकित व्यक्ति की तुलना में बेहतर स्थिति में नहीं हो सकती है और 1925 के भविष्य निधि धिनियम या 1931 के भविष्य निधि नियमों के प्रावधानों के आधार पर यह नहीं कह सकती है कि वह है।पैसे में लाभकारी ब्याज का हकदार है या इसका मालिक बन गया है। उसे निश्चित रूप से धिनियम और नियमों के तहत भविष्य निधि प्राप्त करने का धिकार है, लेकिन प्राप्त करने का ऐसा धिकार कानून के तहत दूसरों के धिकारों के धीन है या ग्राहक द्वारा किए गए नए स्वभाव से उत्पन्न होता है, र्थात्, मामले में वसीयत।

भारतीय उत्तराधिकार धिनियम की धारा 222, 276, 279, 280, 281, 273 और 300 के तहत मृतक की वसीयत के प्रमाण के लिए याचिका,

अपीलकर्ता की ओर से के.एल. कपूर, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से आत्मा राम, वकील,

आदेश

ग्रोवर, न्यायमूर्ति - यह याचिका फ्लाइट लेफ्टिनेंट पंज रतन सिंह के पिता जोध सिंह चौधरी की है, जिनकी 17 जून, 1966 को एयर क्राफ्ट में मौत हो गई थी। याचिका में आरोप लगाया गयाहै कि 14 मई, 1959 को पंज रतन सिंह द्वारा निष्पादित ंतिम वसीयत और वसीयत नामा उसी दिन उन्होंने जामनगर के सब-रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराया था। याचिकाकर्ता को वसीयत में निष्पादक नामित किया गया है। याचिकाकर्ता के हाथ में आने वाली संपत्ति का विवरण मूल्यांकन के एक हलफनामे में दिया गया है, कुल राशि 36,143.49 पैसे है।

उपरोक्त याचिका के उद्धरण को ट्रिब्यून में प्रकाशित करने का आदेश दिया गया था, सुनवाई की तारीख 3 नवंबर, 1966 के लिए निर्धारित की गई थी। पंज रतन सिंह मृतक की विधवा श्रीमती हरदेव कौर ने वसीयत

दिए जाने का विरोध किया है। उनके ⊠नुसार, 14 मई, 1959 की वसीयत मृतक की ⊠ंतिम वसीयत और वसीयतनामा नहीं है। इस बात से इनकार किया गया है कि याचिकाकर्ता 14 मई, 1959 की कथित वसीयत के आधार पर 23,529 रुपये की भविष्य निधि या ⊠नुबंध "ए" में उल्लिखित किसी ⊠न्य राशि पर कोई दावा कर सकता है। श्रीमती हरदेव कौर द्वारा दायर जवाब में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता और मृतक की मां सरदारनी गुरबचन कौर संयुक्त रूप से और ⊠लग-⊠लग तरीके से भारतीय वायु सेना के ⊠धिकारियों को विभिन्न राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहे थे। उन्होंने 5 मार्च, 1960 को ⊠पने पक्ष में बनाए गए एक नामांकन के आधार पर भविष्य निधि पर ⊠पना दावा किया। जहां तक हितकारी निधि का संबंध है, यह बताया गया है कि वायु सेना के नियमों और विनियमों के तहत, उस निधि में पड़ी 1,500 रुपये की राशि का भुगतान केवल मृतक की विधवा को किया जा सकता है, किसी और को नहीं।

जोध सिंह चौधरी ने 17 सितंबर, 1966 को 1966 के सिविल विविध संख्या 3523 में ⊠नुरोध किया कि श्रीमती हरदेव कौर को भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया जाए: जो16 नवंबर, 1958 को उनके साथ विवाह के एक रूप में प्रवेश करने वाले मृतक की पत्नी होने का दावा कर रही है। हालाँकि, दोनों पक्ष अलग हो गए थे और अप्रैल 1959 के बाद से कभी एक-दूसरे से नहीं मिले थे या एक-दूसरे को नहीं देखा था, और याचिकाकर्ता ने शादी को अमान्य करने के लिए एक याचिका दी थी। इसलिए, वह मृतक द्वारा छोड़ी गई राशि की हकदार नहीं थी। श्रीमती हरदेव कौर की ओर से एक जवाब दाखिल किया गया था, जिसमें यह दोहराया गया था कि

याचिकाकर्ता 14 मई, 1959 की कथित वसीयत के आधार पर भविष्य निधि राशि या ☒ नुबंध "ए" में उल्लिखित राशि पर कोई दावा नहीं कर सकता था। यह दावा किया गया था कि उसके और मृतक के बीच एक वैध विवाह हुआ था और विवाह को रद्द करने के लिए दायर याचिका को 13 मार्च, 1962 को एक नया आवेदन दायर करने की ☒ नुमति के साथ वापस ले लिया गया था, जो कभी नहीं किया गया था। यह दावा किया गया था कि प्रतिवादीमृतक की विधवा थी, जिसने कानूनी रूप से उससे शादी की थी और दोनों पति-पत्नी के बीच कभी कोई ☒ लगाव नहीं हुआ था। इस प्रकार वह भारतीय वायु सेना के ☒ धिकारियों से मिलने वाले सभी लाभों और राशियों की हकदार थी।

वसीयत, प्रदर्शनी ए1, जिसमें से प्रोबेट की मांग की जाती है, एक संक्षिप्त दस्तावेज है। मुख्य भाग में टाइप की गई सामग्री होती है जिसमें रिक्त स्थान को लिखित रूप से भरा जाता है। इसके माध्यम से, वसीयतकर्ता ने ☒ पने पिता को दिया और वसीयत की। S'. जोध सिंह चौधरी, उनके उत्तराधिकारी, उनके उपयोग और लाभ के लिए, बिल्कुल और हमेशा के लिए उनकी सभी संपत्ति, चाहे वह चल और ☒ चल हो, कहीं भी और क्या, प्रकृति और गुणवत्ता के लिए हो। जोध सिंह चौधरी को वसीयत का एकमात्र निष्पादक नियुक्त किया गया था। इसे14 मई, 1959 को जमनागढ़ में निष्पादित किया गया था और भारतीय वायु सेना के तीन ☒ धिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया था, जिनमें से दो गवाह के रूप में उपस्थित हुए हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट डीपी सिंह, नंबर 5503, जो प्रमाणित करने वाला गवाह(ए.डब्ल्यू) 1 के रूप में दिखाई दिए। उसने कहा है कि वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट पाणि रतन सिंह को जानता था, जो मृत था और वह भी जानता था। प्रदर्शनी ए 1, को उसकी

उपस्थिति में उसके हस्ताक्षर को जोड़कर निष्पादित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मृतक की उपस्थिति में वसीयत को सत्यापित किया और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीएल गुप्ता और सैन-लीडर वाई एन कपूर, दोनों ने गवाह के रूप में और मृतक की उपस्थिति में भी वसीयत को सत्यापित किया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट वाई एन कपूर के बयान के ⊠नुसार संख्या 5061 (ए.डब्ल्यू 2), वसीयत उनकी उपस्थिति में निष्पादित की गई थी और इसमें एक प्रमाणित गवाह के रूप में उनके हस्ताक्षर थे। मृतक ने ⊠पनी इच्छा पत्र में वसीयत पर हस्ताक्षर किए। उस समय ⊠न्य दो गवाह भी मौजूद थे। ' मृतक ने ⊠पनी उपस्थिति में प्रदर्शनी ए 1 में रिक्त स्थान भर दिया। तीसरा प्रमाणबुद्धि को प्रमाणित करता है। लेफ्टिनेंट सी. एल. गुप्ता, संख्या 5027 से पूछताछ नहीं की गई है, लेकिन हालांकि ⊠न्य बिंदुओं पर दो गवाहों से जिरह की गई थी, लेकिन वसीयत के निष्पादन और सत्यापन पर कोई चुनौती नहीं थी। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इन जिम्मेदार ⊠धिकारियों के पास गलत बयान देने का कोई कारण नहीं था। इस मुद्दे पर खंडन करने के लिए कोई सबूत नहीं है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय उत्तराधिकार की धारा 63 के प्रावधान

 धिनियम पूरी तरह से संतुष्ट हो गया है, इसके लावा, वसीयत पंजीकृत हो गई थी और उप-रजिस्ट्रार के नुमोदन के नुसार, इसे पंज रतन सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो खुद मृत था। इस बात से इनकार करने के लिए कुछ भी नहीं है कि वसीयत के निष्पादन के समय मृतक एक स्वस्थ दिमाग का नहीं था और यद्यपि प्रतिवादी के वकील श्री आत्मा राम ने बहस के समय इस प्रश्न को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह प्रतिवादी की किसी भी दलील या किसी न्य तथ्य या साक्ष्य को इंगित नहीं कर सके जो मृतक के होने के तथ्य पर कोई संदेह पैदा करता हो। भौतिक समय पर मन को शांत करने में ध्वनि। इसलिए, मैं यह कहूंगा किवसीयत पर कार्रवाई और सत्यापन कानून के नुसार विधिवत सिद्ध किया गया है।

पक्षकारों के बीच मुख्य विवाद नुबंध क में नकद राशि की निम्नलिखित प्रथम तीन मदों पर केन्द्रित है -

"(1) डीएसओ में मृतक की भविष्य निधि।

भविष्य निधि खाता सं. ओ..एफ./18273,. के साथ

रक्षा लेखा नियंत्रक, मेरठ। ... 23,529 रुपये

(2) रक्षा लेखा नियंत्रक, मेरठ के पास अनिवार्य जमा योजना के तहत पड़ी राशि

लगभग 200 रुपये

(3) व्यक्तिगत सेवा निदेशक द्वारा देय, वायु। मुख्यालय, नई दिल्ली

और ओ.सी.आई.ए.एफ. केंद्रीय लेखा कार्यालय, नई दिल्ली

(ए) ग्रेच्युटी	लगभग: रु. 5000
(बी) वेतन भत्ते और इनाम	लगभग 1,000 रुपये [1]'
(सी)। सचिव स्टाफ द्वारा देय परोपकारी निधि	
परोपकारी निधि, एयर मुख्यालय	
नई दिल्ली	लगभग 1,500 रुपये
' ' ■ - '"	...- 7.500 रुपये"। [1]

जहां तक भविष्य निधि की पहली मद का संबंध है, मृतक ने मूल रूप से ☒ पनी मां को नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित किया था। यह उसकी शादी से पहले की बात है। फिर उन्होंने 5 मार्च, 1960 को नामांकन को संशोधित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने ☒ पने पिता और ☒ पनी मां को ☒ पने 'नामांकित व्यक्तियों' के रूप में नामित किया। प्रतिवादी की ओर से श्री आत्मा राम ने प्रस्तुत किया कि 5 मार्च, 1960 को किया गया नामांकन एक वसीयत के निष्पादन के समान था और इसलिए, वसीयत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

प्रदर्शनी ए.1, जिसे 5 मार्च, 1960 को निष्पादित किए गए बाद के दस्तावेज द्वारा रद्द या रद्द माना जाना चाहिए। तथापि, यह स्थिति पूर्णत ☒ स्थिर है क्योंकि भारतीय उत्तराधिकार ☒ धिनियम की धारा 63 के ☒ंतर्गत वसीयत के सत्यापन और निष्पादन के लिए निर्धारित शर्तों को उस दस्तावेज के संबंध में नहीं दिखाया गया है या सिद्ध नहीं किया गया है जिसके द्वारा 5 मार्च, 1960 को नामांकन किया गया था। 1 ☒ पै्रल, 1931 को सरकार नोर-जनरल-इन-काउंसिल द्वारा प्रख्यापित किया गया, जो भविष्य निधि ☒ धिनियम, 1925 के प्रावधानों के तहत बनाए गए भविष्य निधि नियमों की तर्ज पर व्यावहारिक हैं। यह सामान्य आधार है, और याचिकाकर्ता के लिए श्री के एल कपूर इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि इन नियमों के ☒ नुसार, वर्तमान मामले में मृतक की भविष्य निधि केवल विधवा द्वारा प्राप्त की गई थी, न कि माता-पिताया मृतक की मां द्वारा, इस तथ्य के बावजूद कि नामांकन उनके पक्ष में किया गया था। भविष्य निधि नियमों के समतुल्य नियम 17, नोट 1 के संदर्भ में, **सुभद्राम्मल बनाम कन्नम्मल**[1] मामले में सही स्थिति बताई गई है, कि ऐसे नियमों भविष्य निधि का मुख्य उद्देश्य जमाकर्ता के परिवार के सदस्यों के लिए प्राप्त करने के अधिकार को संरक्षित करना है। यह समान रूप से विवादित नहीं है कि मृतक की विधवा, ☒ र्थात्, प्रतिवादी भविष्य निधि की राशि प्राप्त करने की हकदार होगी और कोई और नहीं। पेश हुए विभागीय गवाहों ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों के तहत याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी को उपरोक्त निधि के कारण भुगतान नहीं मिल सकता है। श्री एस.एन.

[1] (1) ए.आई.आर. 1940 मैड. 590.

नैय्यर, सहायक लेखा अधिकारी, नियंत्रक रक्षा लेखा कार्यालय, मेरठ छावनी, (आर.डब्ल्यू. 1) ने रक्षा सेवा अधिकारियों के नियम 9 (viii) (बी) का उल्लेख किया; भविष्य निधि नियम, उसी के संबंध में।वायु सेना मुख्यालय के व्यक्तिगत सेवा निदेशालय के ⊠धिकारी-पर्यवेक्षक शांति प्रकाश गुप्ता ने कहा है कि वायु सेना ⊠धिकारी की शादी के बाद रक्षा सेवा ⊠धिकारी निधि के संवितरण के संबंध में उनके द्वारा किया गया कोई भी नामांकन ⊠मान्य है यदि वे "परिवार" के ⊠लावा ⊠न्य संबंधों के पक्ष में मौजूद हैं। "परिवार" शब्द का ⊠र्थ है एक सब्सक्राइबर की पत्नी या पत्नियां और बच्चे और विधवा, या विधवा, और ग्राहक के मृत बेटे के बच्चे। इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां तक याचिकाकर्ता के पक्ष में नामांकन का सवाल है1

और जहां तक उसकी पत्नी का संबंध है, यह पूरी तरह से ⊠प्रभावी और ⊠मान्य है और भविष्य निधि की राशि उन्हें मृतक के वंशज के रूप में प्राप्त नहीं की जा सकती है।

यह प्रश्न ⊠भी भी बना हुआ है कि क्या कोई व्यक्ति, जो 1925 के ⊠धिनियम या 1931 के रक्षा सेवा ⊠धिकारी भविष्य निधि नियमों के तहत भविष्य निधि की राशि प्राप्त करने का हकदार है, ऐसी राशि में स्वामित्व का कोई ⊠धिकार प्राप्त करता है जो प्राप्त होता है या मृतक के वैध उत्तराधिकारियों के लिए रिसीवर या ट्रस्टी की क्षमता में रखता है । **ऐमाई बनाम अवाबाई धनजीशॉ जमशेदजी**[2] में (2), एक डी मास्टर कराची पोर्ट ट्रस्ट की सेवा

[2] ए.आई.आर. 1924. 57.

(1) ए.आई.आर. 1940 मैड. 590.

में शामिल हो गए और उन्हें प्रोविडेंट फंड का लाभ दिया गया, जिसके संबंध में पोर्ट ट्रस्ट ने नियम बनाए। उन्होंने ⊠पनी बेटी ऐमाई को भविष्य निधि प्राप्त करने के लिए नामित किया था। हालांकि, उन्होंने दूसरी शादी की और उससे कई बच्चे थे। उसकी मृत्यु हो गई। विधवा ने संपत्ति पर प्रशासन के पत्र निकाले। हालांकि, मास्टर के क्रेडिट पर भविष्य निधि की राशि का भुगतान नियमों के तहत नामांकित ऐमाई को किया गया था। विधवा ने दावा किया कि भविष्य निधि की राशि मृतक की संपत्ति की थी और वहइसे ऐमाई से प्रशासित होने के नाते लेने की हकदार थी। परिणामस्वरूप एक दोस्ताना मुकदमा दायर किया गया और ⊠ंत में मामला सिंध कोर्ट में आया। यह माना गया कि नामांकन पत्र को वसीयत नहीं माना जा सकता है। यह भी देखा गया कि इस प्रणाली का उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति को नामित करना था जो भविष्य निधि का भुगतान कर सके और वैध पद छोड़ने के लिए प्राप्त कर सके। यह भी माना गया कि नामांकन ने एक ट्रस्ट नहीं बनाया। प्रचलित विचार यह था कि भविष्य निधि या इसे पुनर्प्राप्त करने का ⊠धिकार मृतक की संपत्ति का एक हिस्सा था और इसका हकदार व्यक्ति प्रशासनिक था। सिंध मामले के बाद एडिसन जस्टिस, **हरदियाल देवी दित्ता बनाम जानकी दास**[3] में, जिन्होंने कहा कि भविष्य निधि का पैसा प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का नामांकन नामांकित व्यक्ति के पक्ष में एक वसीयत, उपहार या ट्रस्ट नहीं था और ग्राहक की मृत्यु पर फंड उसकी ⊠प्रयुक्त संपत्ति का हिस्सा बन गया। **माउंट आमना खातून बनाम अब्दुल करीम**[4] में, यह माना गया था कि 1925 के ⊠धिनियम की धारा 5 केवल उन व्यक्तियों को संदर्भित करती है जिन्हें संबंधित प्राधिकरण से भविष्य निधि प्राप्त करने के लिए नामित किया गया था और ग्राहक की मृत्यु पर ऐसी निधि प्राप्त करने का ⊠धिकार पूर्ण

[3] ए.आई.आर. 1928 लाहौर 773.

[4] ए.आई.आर. 1937 562

था और ऐसे प्राधिकारी द्वारा पूछताछ नहीं की जा सकती थी, लेकिन नामांकन स्वयं किसी भी स्वभाव, वसीयतनामा या ☒न्यथा के ☒धीन था, जो ग्राहक द्वारा किया गया हो सकता है। तदनुसार, यह तथ्य कि केवल यह तथ्य कि भविष्य निधि प्राप्त करने के उद्देश्य से 1925 के ☒धिनियम की धारा 5 के तहत एक निश्चित व्यक्ति को नामांकित घोषित किया गया था, आवश्यक रूप से एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो मालिक, उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी के रूप में राशि का उपयोग करने का हकदार था। **स्टैनली ऑस्टिन कार्डिगन मार्टिन**[5] में, सेन जस्टिस ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और अधिनियम की धारा 5(1) की भाषा पर भरोसा करते हुए उन्होंने माना कि कोई भी नामांकन फंड के नियमों के अनुसार विधिवत किया जाता है, जिसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को सम्मानित करना है। ग्राहक की मृत्यु पर इस तरह की पूरी राशि या उसका कोई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, इस तरह के नामांकन में बदलाव होने तक पूरी तरह से ऐसा अधिकार प्रदान करने वाला माना जाएगा और वसीयत में वसीयतकर्ता द्वारा किया गया स्वभाव फंड की राशि को प्रभावित नहीं कर सकता है और यह भी कि ऐसी राशि मृतक की संपत्ति का हिस्सा नहीं बनती और उसके द्वारा अपनी वसीयत में इसका निपटान नहीं किया **नूर महोमेद बनाम मोहम्मद सरदार खातून** [6] में, तैयबजी, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सिंध कोर्ट की एक खंडपीठ ने अधिनियम की धारा 5 के उचित दायरे और प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की। इस निर्णय का अनुपात यह है कि भविष्य निधि को नामांकित व्यक्ति में निहित करने का प्रभाव यह है कि वास्तविक मालिकों के लाभकारी अधिकारों को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना नामांकित व्यक्ति को राशि पर कब्ज़ा और प्रभुत्व का तत्काल अधिकार प्रदान किया जाता है, चाहे वे कोई भी हों या तो उत्तराधिकारी या वसीयतकर्ता के रूप में।। यदि आश्रित नामांकित व्यक्ति एकमात्र उत्तराधिकारी या

[5] ए.आई.आर. 1939 कैल. 642.

[6] ए.आई.आर. 1949 सिंध 38

उत्तराधिकारी होता है और इसलिए, लाभकारी ☒धिकारों का हकदार भी है, तो पूरे मालिक-जहाज ☒धिकार उसके पास निहित होंगे। यह ☒धिनियम भविष्य निधि को लेनदारों और ☒साइनियों के दायित्व से उस सीमा तक मुक्त करता है जहां तक ☒धिनियम में उल्लिखित है, और कुछ मामलों में यह ☒भिदाता की मृत्यु पर आश्रित में निहित है, लेकिन यह आगे कुछ नहीं करता है। भविष्य निधि☒भिदाता की शेष संपत्ति के रूप में ☒भिदाता के खाते में उत्तराधिकार के रूप में पारित होती है। निष्कर्ष विद्वान मुख्य न्यायाधीश के शब्दों में कहा जा सकता है:-

पीठ ने कहा, 'हमारा मानना है कि भविष्य निधि ☒धिनियम नामित व्यक्ति को यह ☒धिकार देता है, भले ही नामांकित व्यक्ति आश्रित हो, राशि प्राप्त करने के ☒धिकार से ☒धिक कुछ नहीं। यह नामांकित व्यक्ति को मालिक के पूर्ण ☒धिकार प्रदान नहीं करता है, और मामले पर लागू कानून के तहत उत्तराधिकारियों या उत्तराधिकारियों के रूप में राशि के हकदार लोगों के ☒धिकारों को नहीं छूता है **।**

अगला निर्णय जिसमें इस बिंदु पर विस्तृत चर्चा हुई है वह **<u>मध्य भारत संघ बनाम सुश्री आशा बी</u>**[7] मामले में मध्य प्रदेश न्यायालय का है, जिसमें डिवीजन बेंच का निर्णय हिदायतुल्ला मुख्य न्यायाधीश (जैसा कि वह तब थे) द्वारा सुनाया गया था। ☒नेक मामलों पर चर्चा करने और न्यायालय के समक्ष प्रचलित दो परस्पर विरोधी विचारों को प्रस्तुत करने और ☒धिनियम की धारा 5 का उल्लेख करने के बाद, पृष्ठ 83 पर यही देखा गया था:-

उन्होंने कहा, 'मेरी राय में इस ☒ंतिम प्रावधान को नॉमिनी को फंड का मालिक

[7] ए.आई.आर. 1957 एम.पी.

बनाने के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यह केवल उन्हें बिना शर्त इसकी मांग करने का ☒धिकार देता है।

यह आगे कहा गया था कि जब तक नामांकन खड़ा था, नामांकित व्यक्ति को केवल यह साबित करने की आवश्यकता थी कि वह ग्राहक द्वारा नामित व्यक्ति था और फिर वह उस पर लगाए गए किसी भी शर्त के बिना राशि प्राप्त कर सकता था, लेकिन धारा 5 में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे प्राप्त करने के बाद धन का हो। और वास्तव में, उन शब्दों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह दर्शाता हो कि ☒भिदाता की मृत्यु से पहले भी नामांकित व्यक्ति धन में एक वार्षिक ब्याज का हकदार था। यहाँ तक कि इंग्लैण्ड में भी मतभेद थे और **बार्न्स एशेंडेन बनाम हीथ**[8] मामले में फ़ारवेल, जस्टिसके दृष्टिकोण ने मध्य प्रदेश न्यायालय के निर्णय को बहुत प्रभावित किया। उपरोक्त मामले में फारवेल, जस्टिस ने फिलिमोर, जस्टिस (जैसा कि वह तब थे) के निर्णय से ☒सहमति व्यक्त की और निर्धारित किया कि नामांकन ☒पनी प्रकृति में था और ☒भिदाता के जीवनकाल में नामांकित व्यक्ति की मृत्यु ने नामांकन को हरा दिया, ताकि सदस्य की मृत्यु पर उसका कानूनी व्यक्तिगत प्रतिनिधि संपत्ति का हकदार था, न कि नामांकित व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि।

1925 के ☒धिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) को मूल उप-धारा के लिए 1946 के ☒धिनियम 11 की धारा 2 में प्रतिस्थापित किया गया था। भाषा में कुछ ☒ड़चनें आई हैं जो ☒ब पढ़ती हैं: –

> (1) किसी कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी, जो कुछ समय के लिए लागू है या किसी ☒न्य नियम में है, चाहे वह वसीयतनामा हो या ☒न्यथा, ग्राहक या जमाकर्ता हो। एक सरकार या रेलवे भविष्य निधि, निधि में उसके जमा की गई

[8] 1940-1 ☒ध्याय 267

राशि,या उसके किसी भाग की, जहां निधि के नियमों के ⊠ नुसार विधिवत रूप से किया गया कोई नामांकन, किसी भी व्यक्ति को ⊠ भिदाता या जमाकर्ता की मृत्यु होने पर ऐसी राशि का पूरा या कोई हिस्सा प्राप्त करने का ⊠ धिकार प्रदान करने का है। देय, भुगतान किया गया है, उक्त व्यक्ति, ⊠ भिदाता या जमाकर्ता की पूर्वोक्त मृत्यु होने पर, ⊠ न्य सभी व्यक्तियों के बहिष्करण का हकदार होगा, ऐसी राशि या उसके भाग को, जैसा भी मामला हो, तब तक प्राप्त करने का हकदार होगा, जब तक कि - ****** ** *** * "

मुझे ऐसा नहीं लगता कि धारा 5 की उपधारा (1) के शुरुआती भाग में परिवर्तन से मध्य प्रदेश के मामले में स्वीकार की गई कानूनी स्थिति में कोई ⊠ंतर आएगा, जिसका मैं सम्मानपूर्वक पालन करूंगा। इसलिए मैं यह मानूंगा कि यद्यपि रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि नियमों के नियम 9(viii)(बी) के अनुसार, प्रतिवादी अपने मृत पति की भविष्य निधि की राशि प्राप्त करने की हकदार है, लेकिन वह इससे बेहतर स्थिति में नहीं हो सकती नामांकित व्यक्ति की तुलना में और 1925 के अधिनियम या पूर्वोक्त नियमों के प्रावधानों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वह पैसे में लाभकारी हित की हकदार है या इसकी मालिक बन गई है। उसे निश्चित रूप से ⊠ धिनियम और नियमों के तहत भविष्य निधि प्राप्त करने का ⊠ धिकार है, लेकिन प्राप्त करने का ऐसा ⊠ धिकार कानून के तहत दूसरों के ⊠ धिकारों के ⊠ धीन है या ग्राहक द्वारा किए गए किसी भी पद से उत्पन्न होता है, ⊠ र्थात्, वर्तमान मामले में वसीयत।

ग्रेच्युटी की राशि के आगे आता है जो लगभग रु. 5,000 आरडब्ल्यू 3 द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में स्वीकृत की गई थी जो मृत अधिकारी की विधवा है।जहां तक पेंशन का संबंध

है, ⊠नुलग्नक क में उल्लिखित परिसंपत्तियों की सूची में इसका कोई उल्लेख नहीं है। श्री के. एल. कपूर ने इस बात पर उचित सहमति व्यक्त की है कि इसे उन परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया जा सकता है जिनके आधार पर वसीयत दी जानी है। ग्रेच्युटी मृतक की संपत्ति का हिस्सा नहीं बन सकती थी और श्री कपूर इसके विपरीत कुछ भी दिखाने में ⊠समर्थ रहे हैं। **माउंट हनीफाबाई बनाम कराची पोर्ट ट्रस्ट**[9] के अनुसार, ग्रेच्युटी के मामले में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता है, जो मृतक की संपत्ति का हिस्सा नहीं है, बल्कि केवल विशिष्ट व्यक्तियों को भुगतान की गई राशि है, जो आवश्यक रूप से मृतक के उत्तराधिकारी नहीं हैं। इसलिए, ग्रेच्युटी की राशि को मृतक की संपत्ति के संबंध में संपत्ति की सूची से बाहर रखा जाना चाहिए। इसी प्रकार श्री कपूर द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि रू. परोपकारी निधि के रूप में देय 1,500 रुपये मृतक की संपत्ति का हिस्सा नहीं बन सकते हैं और उन्हें संपत्ति की सूची से बाहर करना होगा।

प्रतिवादी की ओर से श्री आत्मा राम ने रक्षा लेखा नियंत्रक के पास ⊠निवार्य जमा योजना के तहत पड़ी 200 रुपये की राशि और वेतन, भत्ते और इनाम के खिलाफ दिखाई गई 1,000 रुपये की राशि के संबंध में कोई गंभीर विवाद नहीं उठाया है।

इसका परिणाम यह होगा कि 5,000 रुपये और 1,500 रुपये की राशि को मृतक की संपत्ति की सूची से बाहर कर दिया जाएगा, जिसके संबंध में वसीयत दी जा रही है। याचिकाकर्ता ⊠नुबंध "ए" में दर्शाई गई ⊠न्य सभी संपत्तियों के संबंध में वसीयत प्रदान करने हकदार होगा, जो पूरे भारत में प्रभावी होगा और मैं समझौते का आदेश देता हूं। याचिकाकर्ता को एक महीने के भीतर आवश्यक ⊠दालत-शुल्क का भुगतान किया जाएगा। इस याचिका

[9] ए.आई.आर. 1929 सिंध 177

की लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.आर.टी.

रिविजनल सिविल

प्रेम चंद पंडित, न्यायमूर्ति के समक्ष

महंत राम प्रकाश और एक और

बनाम

शंकरी और ☒ न्य,

1966 का सिविल संशोधन संख्या 660

1967 का सिविल विविध संख्या 2933

15 सितंबर, 1967

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम V-आदेश 22 नियम 5- विवाद कि मृतक का कानूनी प्रतिनिधि कौन है- क्या मुकदमा आगे बढ़ाने से पहले न्यायालय द्वारा तय किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धांत रॉयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा